



JEEVIKA

An Initiative of Government of Bihar for Poverty Alleviation

Bihar Rural Livelihoods Promotion Society
State Rural Livelihoods Mission, Bihar



1st Floor, Vidyut Bhawan-II, Bailey Road, Patna - 800 021; Ph. : +91-612-250 4980; Fax : +91-612-250-4960; e-mail : info@brlp.in; Website : www.brlp.in

कार्यालय आदेश

(संकुल स्तरीय संगठन के ग्रेडिंग क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शन)

संकुल स्तरीय संगठनों द्वारा विभिन्न गतिविधियों का संचालन एवं क्रियान्वयन किया जा रहा है। प्रशासनिक प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन, एम. आई. एस प्रबंधन, डिजिटल लेन-देन, सामाजिक एवं जीविकोपार्जन गतिविधियों के समेकन की समीक्षा कर योजना एवं रणनीति बनाने में संकुल स्तरीय संगठनों एवं परियोजना के दृष्टिकोण से ग्रेडिंग (श्रेणीकरण) महत्वपूर्ण है। जिससे संकुल स्तरीय संगठनों की गुणवत्ता एवं निरंतरता बनाये रखने में उचित दिशा प्राप्त हो सके।

संकुल स्तरीय संगठनों की ग्रेडिंग के क्रियान्वयन की प्रक्रिया निम्न है-

1. सभी संकुल स्तरीय संगठनों का ग्रेडिंग (श्रेणीकरण) निर्धारित प्रपत्र में त्रैमासिक तौर पर की जायेगी।
2. सी.एल.एफ प्रबंधक/ सी.एल.एफ एंकर द्वारा संकुल स्तरीय संगठनों की बैठक (RGB/ BoDs) से पूर्व ग्रेडिंग (श्रेणीकरण) तैयार किया जाना अनिवार्य है।
3. संकुल स्तरीय संगठनों की बैठक (RGB/ BoDs) में तैयार ग्रेडिंग पर चर्चा एवं समीक्षा की जायेगी तथा मासिक कार्ययोजना तैयार की जायेगी।
4. संकुल स्तरीय संगठनों की बैठक (RGB/ BoDs) में सी.एल.एफ प्रबंधक/ सी.एल.एफ एंकर की उपस्थिति अनिवार्य है।
5. निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन के बाद ग्रेडिंग (श्रेणीकरण) प्रपत्र एवं कार्ययोजना को प्रखण्ड परियोजना क्रियान्वयन इकाई के माध्यम से दो दिनों के भीतर जिला परियोजना समन्वयन इकाई में जमा किया जाएगा।
6. प्रखण्ड स्तरीय सी. एल. एफ गुणवत्ता समिति की मासिक बैठक में मासिक कार्ययोजना की समीक्षा कर आगे की रणनीति तैयार की जायेगी।
7. जिला स्तरीय सी. एल. एफ सशक्तीकरण समिति की बैठक में ग्रेडिंग की समीक्षा कर मासिक कार्ययोजना तैयार होगी। बैठक में प्रशिक्षण प्रबंधक/ प्रशिक्षण अधिकारी, विषयगत प्रबंधक, प्रखण्ड परियोजना प्रबंधक, सी.एल.एफ प्रबंधक/ सी.एल.एफ एंकर, तीन पदधारी (अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष) उपस्थित रहेंगे।

I/24890/2022

8. जिला परियोजना प्रबंधक द्वारा प्रत्येक महीना कार्ययोजना की समीक्षा की जायेगी।
9. जिला परियोजना समन्वयन इकाई द्वारा ग्रेडिंग प्रपत्र (श्रेणीकरण) एवं कार्ययोजना को तीन दिनों के भीतर राज्य इकाई को भेजा जाएगा।
10. प्रखण्ड एवं जिला समीक्षा बैठक में सभी संकुल स्तरीय संगठन का ग्रेडिंग (श्रेणीकरण) एवं कार्ययोजना मुख्य एजेंडा होगा।

जिला परियोजना प्रबंधक को निदेशित किया जाता है कि सभी संकुल स्तरीय संगठनों का त्रैमासिक ग्रेडिंग सुनिश्चित करेंगे और कार्ययोजना की मासिक समीक्षा कर क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे।

Signed by Rahul Kumar

Date: 01-06-2022 17:17:30

Reason: Approved

(राहुल कुमार)

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-राज्य मिशन निदेशक

अनुलग्नक:- संकुल स्तरीय संगठन ग्रेडिंग प्रपत्र

प्रतिलिपि:

1. विशेष कार्य पदाधिकारी/ निदेशक /मुख्य वित्त पदाधिकारी/ अधिप्राप्ति विशेषज्ञ
2. सभी परियोजना समन्वयक/ राज्य परियोजना प्रबंधक/ राज्य वित्त प्रबंधक/ सहायक वित्त प्रबंधक
3. सभी जिला परियोजना प्रबंधक/ विषयगत प्रबंधक/ प्रबंधक क्षमता वर्धन/ प्रशिक्षण अधिकारी/ प्रखण्ड परियोजना प्रबंधक/ सी.एल.एफ प्रबंधक
4. सभी सम्बंधित संकुल स्तरीय संगठन
5. सूचना एवं तकनीकी अनुभाग
6. सम्बंधित संचिका

संकुल स्तरीय संगठन श्रेणीकरण पद्धति					
संकुल स्तरीय संगठन का नाम:		गठन तिथि			
कार्यालय का पता:		निबंधन (हाँ/नहीं) -			
पंचायत:		निबंधन संख्या :			
प्रखण्ड:		निबंधन तिथि:			
जिला:		कुल सदस्य:			
क्रम.	मानदंड /मुख्य क्षेत्र (बिन्दु)	श्रेणी आधार (संकुल संघ जिसकी आयु तीन वर्ष से अधिक है)	श्रेणी आधार (संकुल संघ जिसकी आयु तीन वर्ष से कम है)	अधिकतम अंक/ स्कोर	सन्दर्भ
1	प्रशासन एवं प्रबंधन प्रणाली (कुल अंक = 40)				
1.1	सक्रिय उपसमितियां				
1.1.1	निदेशक मंडल की बैठक में कम से कम एक उपसमिति के कार्य की चर्चा एवं समीक्षा	2 - हाँ 0 - नहीं	2 - हाँ 0 - नहीं	2	निदेशक मंडल बैठक पंजी/ रजिस्टर
1.1.2	उपसमिति बैठक में उपस्थिति (खरीदारी उपसमिति, जीविकोपार्जन उपसमिति और सामाजिक पहल/ कार्य उपसमिति)	3 - > 80% 2 - 60-80 % 0 - < 60%	3 - > 80% 2 - 60-80 % 0 - < 60%	3	बैठक में उपस्थित उपसमिति सदस्यों की संख्या/ उपसमिति के सदस्यों की कुल संख्या (अंतिम त्रैमासिक के लिए)
1.2	प्रतिनिधि सामान्य निकाय				
1.2.1	प्रतिनिधि निकाय की बैठक में निदेशक मंडल के कार्य पर चर्चा एवं समीक्षा	2 - हाँ 0 - नहीं	2 - हाँ 0 - नहीं	2	प्रतिनिधि निकाय बैठक पंजी/ रजिस्टर
1.2.2	प्रतिनिधि निकाय बैठक में उपस्थिति	3 - > 80% 2 - 60-80% 0 - < 60%	3 - > 60% 2 - 40-60% 0 - < 40%	3	कुल उपस्थित सदस्य संख्या / कुल सदस्य संख्या (अंतिम त्रैमासिक के लिए)
1.3	निदेशक मंडल				
1.3.1	वित्तीय प्रगति पर चर्चा एवं समीक्षा (जैसे मासिक मांग, वापसी, अधिशेष, वार्षिक व्यय एवं आय की समीक्षा, वित्तीय समावेशन इत्यादि).	2 - हाँ 0 - नहीं	2 - हाँ 0 - नहीं	2	निदेशक मंडल एवं मांग पंजी/रजिस्टर
1.3.2	कम से कम दो सामाजिक कार्य जैसे स्वयं सहायता समूह गठन एवं सम्वद्ध सामुदायिक संगठन का क्षमतावर्द्धन, एफ.एन. एच. डब्लू. लिंग, सामाजिक समावेशन, पंचायती राज संस्थान और समुदायिक आधारित संगठन जुड़ाव इत्यादि पर चर्चा एवं समीक्षा.	2 - हाँ 0 - नहीं	2 - हाँ 0 - नहीं	2	निदेशक मंडल बैठक पंजी/ रजिस्टर
1.3.3	जीविकोपार्जन प्रगति, जीविकोपार्जन वित्त सहायता, उत्पादक समूह/ किसान उत्पादक समूह का गठन, बाजार जुड़ाव इत्यादि.	2 - हाँ 0 - नहीं	2 - हाँ 0 - नहीं	2	निदेशक मंडल बैठक पंजी/ रजिस्टर
1.3.4	सामुदायिक संगठनों का मासिक मानदेय भुगतान एवं समीक्षा	2 - हाँ 0 - नहीं	2 - हाँ 0 - नहीं	2	निदेशक मंडल बैठक एवं संगठक मानदेय ट्रैकिंग पंजी/ रजिस्टर/
1.3.5	निदेशक मंडल बैठक में उपस्थिति	2 - > 80% 1 - 60-80% 0 - < 60%	2 - > 60% 1 - 40-60% 0 - < 40%	2	कुल उपस्थित सदस्य संख्या / कुल सदस्य संख्या (अंतिम त्रैमासिक के लिए)
1.4	लेखा पुस्तकों का सूचना प्रबंधन प्रणाली (MIS) में उद्यतन				
1.4.1	संकुल स्तरीय संगठन लेखा पुस्तकों का MIS में अद्यतन	10 - > 15 days 6 - 30 days 0 - < 45 day	10 - > 30 days 6 - 45 days 0 - < 60 day	10	अद्यतन लेखा पुस्तकों और MIS प्रतिवेदन
1.4.2	ग्राम संगठन लेखा पुस्तकों का MIS में अद्यतन	10 - > 30 days 6 - 45 days 0 - < 60 day	10 - > 45 days 6 - 60 days 0 - < 90 day	10	अद्यतन लेखा पुस्तकों और MIS प्रतिवेदन

2 वित्तीय प्रबंधन (कुल अंक = 40)					
2.1 संकुल स्तरीय संगठन में ऋण प्रबंधन					
2.1.1	b) रोटेशन दर	5 - >2 3 - 1-2 0 - <1	5 - >2 3 - 1-2 0 - <1	5	दिया गया सामान्य ऋण /आरंभिक पूंजीकरण निधि वापसी
2.1.2	c) वापसी दर	10 - > 80% 6 - 60-80% 0 - <60%	10 - > 60% 6 - 40-60% 0 - <40%	10	आरंभिक पूंजीकरण निधि वापसी/ कुल मांग * 100
2.2 ग्राम संगठनों में ऋण विस्तार					
2.2.1	संकुल स्तरीय संगठन द्वारा ऋण प्राप्त ग्राम संगठनों का प्रतिशत	5 - > 80% 3 - 60-80% 0 - <60%	5 - > 60% 3 - 40-60% 0 - <40%	5	ग्राम संगठन की संख्या (जिस पर बकाया है)/ संकुल संघ में सम्मिलित कुल ग्राम संगठन की संख्या
2.3 वित्तीय आत्म-निर्भरता/ स्वावलंबन- परिचालन					
2.3.1	परिचालन लागत राशि (%)	5 - > 80% 3 - 60-80% 0 - <60%	5 - > 60% 3 - 40-60% 0 - <40%	5	कुल आय और कुल लागत का अनुपात
2.3.2	कुल गैर निष्पादित परिसम्पति (NPA) राशि का प्रतिशत (स्वयं सहायता समूहों को प्राप्त आरंभिक पूंजीकरण निधि ऋण)	5 - No NPA 3 - 0-10% 0 - > 10%	5 - No NPA 3 - 0-10% 0 - > 10%	5	PAR (> 90 दिनों) की गणना
2.3.3	कुल गैर निष्पादित परिसम्पति (NPA) राशि का प्रतिशत (स्वयं सहायता समूहों को बैंक से प्राप्त ऋण)	5 - No NPA 3 - 0-10% 0 - > 10%	5 - No NPA 3 - 0-10% 0 - > 10%	5	बैंक रिकार्ड
2.4 डिजिटल लेन-देन					
2.4.1	बी. सी. पॉइंट के माध्यम से लेन-देन (वापसी) करने वाले समुदाय आधारित संगठनों का प्रतिशत	5 - > 80% 3 - 60-80% 0 - <60%	5 - > 60% 3 - 40-60% 0 - <40%	5	बी. सी. पॉइंट के माध्यम से लेन-देन करने वाले स्वयं सहायता समूहों की संख्या / संकुल संघ में सम्मिलित समूहों की संख्या
3 संकुल संघ में सामाजिक एवं जीविकोपार्जन गतिविधियों का समेकन (कुल अंक = 20)					
3.1	कम से कम कोई दो जीविकोपार्जन गतिविधियों में लगे सदस्यों का प्रतिशत %	10 - > 80% 6 - 60-80% 0 - <60%	10 - > 60% 6 - 40-60% 0 - <40%	10	
3.2	चयनित उद्यमों में से उद्यम शुरू करने वाले अल्ट्रा-गरीब घरों का प्रतिशत	5 - >80% 0 - <80%	5 - >60% 0 - <60%	5	
3.3	कोई दो सरकारी योजनाओं से लाभान्वित योग्य सदस्यों का प्रतिशत	5 - >60% 0 - <60%	5 - >40% 0 - <40%	5	
Total				100	
>80 marks - A grade					
60-80 marks - B grade					
<60 marks - C grade					